भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2795
06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

एमपीएलएडीएस के उपयोग का विस्तार

2795. श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्तमान पात्रता पोर्टफोलियो और दिशानिर्देशों के दायरे का विस्तार करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) निधि के उपयोग प्रोफ़ाइल का विस्तार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई सरकारी संगठन अन्य आवश्यकताओं के अलावा ई-साक्षी पोर्टल के उपयोग की जानकारी के अभाव के कारण एमपीएलएडीएस निधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख) एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के अनुसार, एमपीलैड्स के तहत निधियों के उपयोग और कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति के निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं:

- एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 5.1.2 के अनुसार, एमपीलैड्स निधि का उपयोग सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर अचल सार्वजनिक संपत्ति और केवल सरकारी स्वामित्व वाली और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों, यानी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय सरकारों के लिए चल सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

- इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स निधि का उपयोग एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के अध्याय 6 के तहत निर्धारित विशिष्ट शर्तों के अधीन बार संघों, पंजीकृत समितियों और न्यासों, और सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

- एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 3.2.10 में प्रावधान है कि कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण एक उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी का चयन करेगा जिसके माध्यम से किसी विशिष्ट कार्य निष्पादित किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसी का चयन इस उद्देश्य के लिए लागू राज्य सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। केन्द्र सरकार की एजेंसियों जैसे सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी आदि को भी एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/संगठनों (जैसे रेलवे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आदि) को उनके डोमेन से संबंधित कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुनना अनिवार्य होगा।

(ग) और (घ) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ई-साक्षी पोर्टल पर सफलतापूर्वक शामिल कर लिया गया है और इसका प्रशिक्षण दिया गया है। उपयोगकर्ता की जानकारी को और अधिक मजबूत करने तथा प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग के लिए मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों (सांसदों) सहित सभी हितधारकों के लिए कार्यशालाएं, वेबिनार और व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। ये क्षमता निर्माण पहल निरंतर जारी हैं और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर आयोजित की जाती हैं, जिससे सभी स्तरों पर निरंतर सहायता और सहभागिता सुनिश्चित होती है। अब तक, मंत्रालय ने एमपीलैड्स के हितधारकों के लिए 52 कार्यशालाएं/प्रशिक्षण, 39 भौतिक कार्यशालाएं और 13 ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संसद सत्र (मानसून सत्र 2023 से) के दौरान सांसदों को एमपीलैड्स प्रक्रियाओं और ई-साक्षी पोर्टल के उपयोग के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए कियोस्क स्थापित किए जाते हैं। सत्र अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सांसदों और हितधारकों की सहायता के लिए एक हेल्पडेस्क संचालित होता है, जो सुचारू निधि उपयोग के लिए आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता हैं। मंत्रालय ने ई-साक्षी पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल और अनुदेशात्मक वीडियो भी तैयार किए हैं और हितधारकों को उपलब्ध कराए गए हैं।

****